संलग्नक - 09

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 (यथा संशोधित) के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के जिला–कोरबा में प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Urga- Pathalgaon section (87.535 Km) of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) [Lot-3/Pkg-1] by M/s National Highway Authority of India के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 20/09/2022 का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 (यथा संशोधित) के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के जिला–कोरबा में प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Urga- Pathalgaon section (87.535 Km) of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) [Lot-3/Pkg-1] by M/s National Highway Authority of Indiaके पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई दिनांक 20/09/2022, दिन–मंगलवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करतला, तहसील–करतला, जिला– कोरबा(छ.ग.) में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, कोरबा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में प्रातः 11.00 बजे प्रारंभ की गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुददे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम कंपनी की ओर से श्रीमती अनु वजीर, पर्यावरण प्रबंधक ने माननीय अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, अंकुर साहू , क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा एवं अन्य अधिकारीगण और साथ ही उपस्थित जनता का लोक सुनवाई में स्वागत किया। प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उपस्थित जन समुदाय को परियोजना के संक्षिप्त विवरण से अवगत कराया गया। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय को अपना सुझाव/विचार/आपत्ति रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में निम्नानुसार ग्रामीणजनों, व्यक्यिों द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये :–

1. **श्री नटवर शर्मा, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा** –भारत सरकार का आभार करना चाहता हूँ कि परियोजना हेतु ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी क्या आवश्यक थी ? तो क्या ग्राम सभा के माध्यम से एन.ओ.सी. ली गई है। ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए प्रावधान है, क्या जल संरक्षण किया जायेगा ? यदि नहीं तो किया जाये। गॉव के लोगों को टेंडर में मजदूरी में शामिल किया जाये।

2. **मोहम्मद कुरैशी, ग्राम–नोनर्बिरा, जिला–कोरबा** – डबल फसल क्षेत्र और साथ में बोर है, तो उसके मुआवजे की दर क्या होगी स्पष्ट करें ?

3. **श्री रामचन्द्र, राठिया, ग्राम–कटकोना, जिला–कोरबा**–भारत माला परियोजना में मेरी गॉव की जमीन गई है। सिर्फ एक बार सर्वे कार्य हुआ, दुबारा नहीं हुआ। हमारे महुआ, आम, जामून आदि पेड़ों का सर्वे नहीं हुआ। सभी का बराबर मुआवजा मिले, जो बाजार भाव है। जो बांकी जगहों पर मिला है, ताकि उन पैसों से किसान दूसरी जमीन खरीद सके।

4. **श्री सत्य प्रकाश खूंटे, पंच, करताल, जिला– कोरबा**– लोक सुनवाई के संबंध में क्या व्यापक प्रचार किया गया था। क्या फोरम की बाध्यता है, उसकी जानकारी देवें ?

5. **श्री रामकुमार राठिया,ग्राम–कटकोना, जिला–कोरबा** – सौभाग्य है कि सरकार रोड बना रही है, लेकिन हमारी निजी जमीन व वन पट्टा के ऐवज में कितना मुआवजा मिलेगा यह पता नहीं है? उरगा के पास वर्गफीट में मुआवजा मिलेगा लेकिन वही रेट इधर की जमीनों को मिले। जिसकी भी जमीन जाये उसे रोजगार मिले।

6. **श्री विनोद कुमार राठिया,ग्राम–कोटमेर, जिला–कोरबा**–नेशनल हाइवे में मेरी जमीन जा रही है, लेकिन उसका आबंटन आज तक नहीं हुआ है कि कितना मुआवजा मिलेगा बताया जावे। मेरी जमीन दो फसली है, मेरी जमीन में बोर लगा हुआ है।

7. **सुश्री सैगुन निशा, ग्राम–नोनबिर्रा, जिला–कोरबा**–मेरी एक एकड़ जमीन रोड में जा रही है। मेरी पूरी जमीन रोड में जाने वाली है, उसका कितना मुआवजा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। कृपया बताया जाना सुनिश्चित करें।

8. **श्री रज्जाक अली, ग्राम– करतला, जिला–कोरबा**–सबीना अली एवं मेरी जमीन आपके रिकार्ड में 2 जमीन है, जबकि 4 एकड जमीन गई है। बहुत से फल के पेड़ है, जो कि महंगे पेड़ है, उनकी बढ़ने की एक सीमा है 10 साल, पुराने वृक्षों के आधार पर मुआवजा मिले। परियोजना अच्छी है, लेकिन जमीन पेड–पौधों का सर्वे सही तरीके से नहीं हुआ है।

9. **श्री रेशम लाल ग्राम–कटकोना, जिला–कोरबा**–रोड में मेरी जमीन जा रही है। किन्तु मेरा नाम सर्वे सूची में नहीं है। अतः सर्वे सूची में जोड़ा जावे।

10. **श्री सुखनंदन, ग्राम–जिल्गा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा**–हमारी जमीन जो रोड में आ रही है, उसका उचित मुआवजा दिया जावे एवं जमीन में लगे पौधों का भी उचित मुआवजा दिया जावे।

11. **श्री लाला राम राठिया, ग्राम–कटकोना, जिला–कोरबा**–मेरी जमीन रोड के अंदर में फंसती है। एक सरकारी कुऑ भी रोड में फंसती है। कुंऑ के पानी से फसल सिंचाई में उपयोग करते है। हमें उचित मुआवजा दिया जावे।

12. **श्री दिलीप सिंह, ग्राम–जिल्गा, जिला–कोरबा**–हमें यह जानकारी नहीं है कि हमारे हिस्से की कितनी जमीन रोड बनाने में जावेगी। जानकारी नहीं है।

13. **श्री धनेश राम राठिया, ग्राम–जिल्गा, जिला–कोरबा**– हमारी जमीन लगभग 3 एकड़ रोड बनाने में फंस रही है। आम का पौधा आ रहा है।

14. **श्री पवन सिंह राठिया, ग्राम–कोटमेर, जिला–कोरबा**–जब सीमांकन हुआ है तब जमीन मालिक को नहीं बुलाया गया। मेरी जमीन का पुनः सीमांकन कराया जावे।

15. **श्री सुरेन्द्र सिंह राठिया, ग्राम–जिल्गा, जिला–कोरबा**– हमारी 1 एकड़ एवं हमारे भाई की 1.5 एकड़ जमीन रोड में फंस रही है, उसका उचित मुआवजा दिया जावे। हमारा यही कहना है।

16. **श्रीमती शीलमणी राठिया, सरपंच, करतला, जिला–कोरबा**– हमारे गांव की जमीन नेशनल हाइवे में जा रही है उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। पेड़–पौधों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

17. **<u>श्री फूलसिंह राठिया, ग्राम–चचिया, जिला–कोरबा</u>**– हमारी जो जमीन रोड में फंस रही है। वह दो फसली जमीन है। उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

18. **<u>श्री राधेश्याम राठिया, ग्राम–कोटमेर, जिला–कोरबा</u>**– हमारी जमीन जो भी रोड निर्माण में फंस रही है, उसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लोक सुनवाई की मुनादी सही ढंग से नहीं कराई गई है, अगर मुनादी हुई होती तो यहां पर जनता–जन ग्रामीण उपस्थित होते। लोक सुनवाई को निरस्त किया जावेगा, यही हमारी मांग है।

19. **<u>श्री आकाश सक्सेना, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा</u>**– यह राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण होने का हम स्वागत करते है। मुआवजा किस दर से मिलेगा, उसकी जानकारी नहीं है एवं पेड़–पौधों का क्या मुआवजा होगा, उसकी भी जानकारी नहीं है।

20. **<u>श्री विरेन्द्र सिंह राठिया, ग्राम–चांपा, जिला–कोरबा</u>**– यह परियोजना में 5 किसानों की जमीन जा रही है। लोक सुनवाई की जानकारी आम नागरिकों को नहीं है। रोड निर्माण में जो मिट्‌टी का उपयोग होगा, तालाब निर्माण किया जावे, जिससे मिट्‌टी भी प्राप्त होगी। जितना पेड़ कटेंगे, उतने पेड़ लगाया जावे। शासन के नियमानुसार मुआवजा दिया जावे। प्रबंधन द्वारा उचित मार्गदर्शन किसानों को देना चाहिए।

21. **<u>श्री रामप्रसाद, ग्राम–गेरांव, जिला–कोरबा</u>**–मेरी 80 डिसमिल जमीन का सही मुआवजा मिलना चाहिए ।

22. **<u>श्री निलाम्बर सिंह राठिया, पूर्व सरंपच– चचिया, जिला–कोरबा</u>**– मैं परियोजना का स्वागत करता हूॅ। कृपया स्पष्ट करें कि किस जमीन व पेड़ का कितना मुआवजा मिलेगा।

23. **<u>श्री प्रकाश कुमार, ग्राम–चचिया, जिला–कोरबा</u>**– मेरी जमीन 2.5 एकड़ है। हमारे खेत का हिस्सा रोड के किनारे पड़ रहा है। सड़क निर्माण के बाद उस जमीन में न तो घर बन सकता और न ही अन्य प्रयोजन में उपयोग कर सकता हूॅ। उसका हल निकाला जावे।

24. **श्री हरिविकेश राठिया, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा**– हमारी कितनी जमीन रोड में जा रही है, पता नहीं है। उस जमीन का कितना मुआवजा मिलेगा ।

25. **श्री मुक्ती सिंह ग्राम–करतला, जिला–कोरबा**–मेरे 5 बच्चे है। मेरी जमीन तो निकल रही है, मुआवजा कितना मिलेगा बतावें।

26. **चम्पा बाई, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा**– मेरी जमीन पर 4 आम पेड़ है, जो कि 85 डिसमिल जमीन है। मुआवजा कितना मिलेगा जानकारी देवें।

27. **चमरीन बाई राठिया, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा**– मुआवजा कितना मिलेगा जरूर बतावें।

28. **श्रीमती कमला बाई, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा**–रोड में हमारी जमीन कितनी जा रही है, पता नहीं है और कितना मुआवजा मिलेगा पता नहीं है।

29. **श्री सुरित राम राठिया, ग्राम–कटकोना, जिला–कोरबा**– मेरी सभी जमीन रोड में आ रही है, मेरा परिवार अब क्या करेगा। मुझे यह जानकारी चाहिए।

30. **श्री दुखीराम राठिया, ग्राम पंचायत–चचिया जिला–कोरबा**– हमारी जितनी जमीन रोड में निकलती है, उसका कितना मुआवजा मिलेगा। जानकारी देवें।

31. **श्री चांद खान, उप सरंपच–नोनबिर्रा, जिला–कोरबा**– परियोजना से पानी का बहाव की दिशा बदल जायेगी, उसके लिए आवश्यक पुलिया है अथवा नहीं। बच्चों के शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है। अलग–अलग वृक्षों का मुआवजा पृथकतः तय करें।

32. **श्री सत्य नारायण राठिया, ग्राम–कोटमेर, जिला–कोरबा**– रोड निर्माण में जो जमीन आ रही है। जमीन जाने के बाद क्या सुविधा मिलेगी एवं जमीन के बदले नौकरी दी जावेगी कि नहीं, पेड़ के बदले क्या मुआवजा मिलेगा तथा जमीन का कितना मुआवजा मिलेगा।

33. **श्री खेम सिंह, तुर्रीकटरा, जिला–कोरबा**– हमारी जमीन, पेड–पौधें जा रहे है, बच्चों की रोजगार की व्यवस्था की जावे।

34. <u>**श्री सरजू राम, ग्राम–कटकोना, जिला–कोरबा**</u>– दो पेड़ आम, एक महुआ है, उसका उचित मुआवजा दिया जावे।

35. <u>**सावन मोती, ग्राम–कटकोना, जिला–कोरबा**</u>– मेरी कितनी जमीन जा रही है, नहीं पता। बताने की कृपा करें।

36. <u>**श्री बाबूलाल पटेल, ग्राम–चचिया, जिला–कोरबा**</u>– डबल फसल जमीन है, बोर है। डबल मुआवजा मिले।

37. <u>**श्री सियाराम राठिया, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा**</u>–हमारी जमीन जो रोड निर्माण में जा रही है, वह दो फसली जमीन है। उस दो फसली जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए एवं खेती के लिए स्टाप डेम बनाया जावे।

38. <u>**श्री जागेश्वर सिंह राठिया, ग्राम–चचिया, जिला–कोरबा**</u>– पेड़–पौधें के हिसाब से मुआवजा दिया जावे, क्योंकि पेड़–पौधों से अच्छी आवक होती है।

39. <u>**श्री रूपसिंह राठिया, ग्राम–जिल्गा, जिला–कोरबा**</u>– हमारी जमीन रोड निर्माण में जा रही है, कितनी जमीन जा रही है, उसकी जानकारी नहीं है। 3 पेड़ महुआ एवं साल के 02 पेड़ जा रहे है, कितना मुआवजा मिलेगा जानकारी नहीं है।

40. <u>**श्री मोहन, ग्राम–चचिया, जिला–कोरबा**</u>– हमारी जमीन का मुआवजा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, जानकारी दी जावे।

41. <u>**श्री करमसिंह, ग्राम–कटकोना, तहसील–करतला, जिला–कोरबा**</u>– हमारी जो भी जमीन रोड निर्माण में फंस रही है, उसका मुआवजा सही ढंग से दिया जावे। पेड़–पौधों का मुआवजा भी उचित दिया जावे।

42. <u>**श्री दीपका कुमार राठिया, ग्राम–कोटमेर, जिला–कोरबा**</u>– मेरी जमीन फोरलेन रोड में जा रही है, अगर मिट्टी चाहिए तो मेरी जमीन टिकरा जमीन है, उसी टिकरा जमीन की मिट्टी लेंगें तो मेरी बंजर और टिकरा जमीन खेत हो जायेगा। जिससे हमें लाभ होगा, अगर मिट्टी की आवश्यकता है तो मिट्टी किसानों से ही ली जावे, जिससे किसानों को जमीन का लाभ होगा। जमीन का उचित मुआवजा भी दिया जावे।

43. **श्री राजेन्द्र कुमार राठिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष, करतला, जिला–कोरबा**– मैं परियोजना का स्वागत करता हूँ। पर्यावरणीय दृष्टि से हमारे जंगल के लिए सरकार की क्या योजना है। अन्य जगह पेड़ पौधे होंगे या नहीं, पानी निकासी पुलिया होगी या नहीं, पुलिया बनने से पूर्व गांव वालो को बुलाएं फिर निर्णय लें।

44. **श्री भगत राम पटेल, ग्राम–चचिया, जिला–कोरबा**– मेरी जमीन फंसी है। प्रति डिसमिल / एकड़ में कितना मुआवजा दिया जायेगा ? स्पष्ट करें।

45. **श्री राम स्वरूप राठिया, ग्राम–जिल्गा, जिला–कोरबा**– फसल वृक्ष महुआ, आम, जाम के कटने पर कितना मुआवजा दिया जावेगा। मुआवजा वर्गफीट में दिया जावे। मैं सहमत हूँ, खुश हूँ। काम में गांव के लोगों का ट्रेक्टर को काम दिया जावे।

46. **श्री श्याम धन, ग्राम–चचिया, जिला–कोरबा**– हमारे भाईयों के खेत के बंटवारा नहीं हुआ। छोटे भाई को भी मुआवजा मिलना चाहिए।

47. **श्री कृष्ण राय, ग्राम–करतला, जिला–कोरबा**– मेरे बड़े पिताजी एवं उनके लड़के भी खत्म हो चुके है, ऐसे स्थिति में मुआवजा कैसे दिया जायेगा, स्पष्ट करें।

लोकसुनवाई के अंत में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में प्राप्त सुझाव, विचार, आपत्तियों पर कंपनी के प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। तद्पश्चात लोकसुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुददों के संबंध में कंपनी प्रतिनिधि श्री. वाई. बी. सिंह,परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के जिला–कोरबा में प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana, Urga-Pathalgaon section (87.535 Km) of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) [Lot-3/Pkg-1] by M/s National Highway Authority of India ने परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं का बिन्दुवार जानकारी / जवाब जनता के समक्ष रखा गया।

लोकसुनवाई के दौरान कुल 12 अभ्यावेदन प्राप्त हुए तथा लोक सुनवाई के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुये। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई। तत्पश्चात दोपहर 2.00 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा
जिला–कोरबा(छ.ग.)

अपर कलेक्टर एंवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी
अपर कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)
कोरबा
जिला–कोरबा(छ.ग.)